आकाशवाणी शिमला
09.01.2026 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

मुख्य समाचार

- सिरमौर जिला के हरिपुरधार के पास निजी बस दुर्घटना में 12 लोगों की मौत 33 अन्य गम्भीर रूप से घायल।
- प्रदेश उच्च न्यायालय के राज्य सरकार और चुनाव आयोग को प्रदेश में 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव करवाने के आदेश।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अदालत के फैसले पर जताई नाराजगी–सरकार फैसले का करेगी अध्ययन।
- पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा प्रदेश सरकार पर हमलावर–सरकार की मंशा पर उठाए सवाल।
- प्रदेश सरकार कच्चे मकानों में रह रहे पात्र गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाएगी पक्के मकान।

दुर्घटना

सिरमौर जिला के दूरदराज क्षेत्र हरिपुरधार के पास आज एक निजी बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 12 लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हो गए। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता....

सिरमौर जिला के हरिपुरधार के पास आज दोपहर बाद एक निजी बस के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 33 अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गए। बस में कुल 45 लोग सवार थे। ये बस सोलन से हरिपुरधार जा रही थी। ये दुर्घटना सड़क पर जमे पानी पर बस के फिसल जाने के कारण हुई बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और प्रशासन ने राहत व बचाव कार्य आरम्भ कर दिए हैं और घायलों को उपचार के लिए आई.जी.एम.सी. शिमला रैफर किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिरमौर जिला प्रशासन को इस दुर्घटना में मारे गए व घायल यात्रियों के परिजनों को यथासम्भव सहायता और बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला।

शोक

इस बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, सांसद अनुराग ठाकुर, सुरेश कश्यप, राजीव भारद्वाज और अन्य नेताओं ने इस बस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है।

पंचायत चुनाव

प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार व चुनाव आयोग को 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने 28 फरवरी तक चुनाव संबंधी सभी तैयारियां पूरी करने को कहा है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश रोमेश वर्मा की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 7 जनवरी को इस संबंध में फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव में देर को लेकर डिक्कन कुमार ठाकुर की ओर से नवम्बर 2025 में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पूरी होने के बाद आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला

सुनाया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नंदलाल ठाकुर ने हाईकोर्ट के इस फैसले को बड़ी राहत करार दिया और कहा कि ये फैसला लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।
याचिकाकर्ता डिक्कन कुमार ठाकुर ने कहा कि सरकार डिजास्टर एक्ट का हवाला देकर पंचायत चुनाव टालने में लगी थी जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के विपरीत है। ऐसे में हाईकोर्ट का ये फैसला एक नजीर है।

सुक्खू

इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर आए प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला इस एक्ट की प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार भी अप्रैल और मई महीने में ही पंचायत चुनाव करवाने के पक्ष में थी।

भाजपा

विपक्षी दल भाजपा ने पंचायत चुनावों को लेकर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मण्डी में एक बयान में हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की आलोचना भी की। जयराम ठाकुर ने कहा कि संविधान बचाओ का ढोंग रचने वाली कांग्रेस मौका मिलते ही संविधान की धज्जियां उड़ानें से बाज नहीं आती। भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज धर्मशाला में कहा कि प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के फैसले के बाद बौखला गई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद प्रदेश सरकार का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने को अदालत की अवमानना भी करार दिया। भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने शिमला में कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत चुनावों से भाग रही थी लेकिन हाईकोर्ट के फैसले ने सरकार की सभी दलीलों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का ये फैसला प्रदेश की 70 लाख जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की जीत है। प्रदेश भाजपा महामंत्री संजीव कटवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को कांग्रेस सरकार के लिए बड़ा झटका करार दिया।

सीएम

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार उन पात्र गरीब परिवारों को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध करवाएगी जो अभी भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में पंचायती राज विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल मकान निर्माण तक सीमित नहीं है बल्कि गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध करवाना है। इसलिए मूलभुत सुविधाओं, स्वच्छता, पेयजल और आजीविका के अवसरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।